प्रसारण सेवाओं के संचालन के लिए गैर सरकारी एजेंसियां

2296. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में गैर सरकारी संस्थाओं को कतिपय प्रसारण सेवाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की है;

(ख) ऐसी अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राजकोष को होने वाली राजस्व हानि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने भुगतान आधार पर ट्रांसमीटर द्वारा कवर किए क्षेत्र के लिए उपयुक्त ग्रामीण विकास एवं शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय प्रसारण को ट्रांसमिट करने के उद्देश्य से गुजरात के जिला-खेड़ा में पिज में स्थित 1 कि०वा० टी०वी० ट्रांसमीटर का उपयोग करने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था। राष्ट्रीय विकास बोर्ड से ट्रांसमीटर की मरम्मत, परिशोधन एवं परिचालन संबंधी लागत को वहन करने की अपेक्षा की गई थी। संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं दूरदर्शन को अपेक्षित भुगतान के करने के बाद ट्रांसमीटर के प्रचालन की रूपात्मकता निर्धारित की जानी अपेक्षित थी। तथापि, निरीक्षण के बाद, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सूचित किया है कि वे अब अपने प्रसारण उद्देश्य के लिए टी०वी० ट्रांसमीटर का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं।

(घ) सरकार ने इस संबंध में कोई आवेदन आमंत्रित नहीं किए हैं।

Transfer of employees in various Branches of SBI

2297. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Clerks, Cashiers, Tellers, Head Clerks are working at one branch for more than five years in various branches of the State Bank of India, New Delhi;

(b) what is the tenure of the said employees in one branch; whether there is any guideline for their transfers; if so, the reasons for not following there guidelines scrupulously; and

(c) the steps Government propose to take to regulate these things in the interest of the bank's work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) to (c) State Bank of India, Local Head Office, New Delhi has reported that in terms of its existing transfer policy, the transfers of the clerical staff are affected on a regular basis after their normal tenure of five years in a branch/office subject, however, to administrative convenience, compassionate consideration, individual problems, merit of each case etc. It has further reported that in large sized branches and at the administrative offices it effects inter-divisional and interdepartmental changes after every five years which are also deemed to be transfer under its transfer policy.

पायलट प्रशिक्षण केन्द्र

2298. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में, केन्द्रवार, कितने पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है;

(ग) इस पाठ्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; और

(घ) इनमें महिला प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में विमानचालक बनने के लिए प्रशिक्षण की अवधि 18 महीने है। अन्य संस्थानों/उड़ान क्लबों में प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित नहीं है। यह प्रशिक्षुओं की प्रगति, उपयोगी विमानों अनुदेशकों की उपलब्धता और एक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं की संख्या पर निर्भर करता है।

(ग) पुष्पक विमान के उड़ान प्रशिक्षण पर प्रशिक्षुओं द्वारा लगभग 2,85,000 रुपये खर्च किए जाते हैं। सेशना विमान पर 3,50,500 रुपये और स्वाति विमान पर 3,25,750 रुपये खर्च होते हैं। इग्नुआ में प्रशिक्षण पर लगभग 12 लाख रुपये खर्च होते हैं जिसमें से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से 4 लाख रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों से 2 लाख रुपये लिए जाते हैं।

(घ) इस समय विभिन्न उड़ान क्लबों/संस्थानों में 141 महिला प्रशिक्षु विमानचालक प्रशिक्षण ले रहे हैं।

विवरण

विभिन्न केन्द्रों पर प्रशिक्षुओं की सूची

क्र० सं०	संस्थान का नाम	कुल प्रशिक्षु	महिला प्रशिक्षु
1	2	3	4
1.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब, दिल्ली	31	5
2.	करनाल विमानन क्लब, करनाल	34	3
3.	हिसार विमानन क्लब, हिसार	16	4
4.	पिन्जोर विमानन क्लब, पिन्जोर (हरियाणा)	39	7
5.	पटियाला विमानन क्लब, पटियाला (पंजाब)	08	1
6.	अमृतसर विमानन क्लब, अमृतसार	19	2
7.	उत्तर भारत फ्लाइंग क्लब, जालंधर	13	3
8.	लुधियाना विमानन क्लब, लुधियाना	38	—
9	राजस्थान राज्य फ्लाइंग स्कूल, जयपुर	37	4
10.	सरकारी फ्लाइंग प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ (शाखा सहित)	42	7
11.	बिहार फ्लाइंग प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	49	23
12.	जमशेदपुर सहकारी फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर	22	3
13.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर + 1 शाखा	118	10
14.	गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ोदा	43	19
15.	बम्बई फ्लाइंग क्लब, बम्बई	32	2
16.	सरकारी फ्लाइंग प्रशिक्षण विद्यालय, बंगलौर	41	5

1	2	3	4
17.	आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद	54	7
18.	मद्रास फ्लाइंग क्लब, मद्रास	शून्य	शून्य
19.	सरकारी फ्लाइंग प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर	30	6
20.	सरकारी फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थान, बेहाला, कलकत्ता	20	2
21.	नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर	54	3
22.	केरल विमानन अकादमी, त्रिवेन्द्रम	16	1
23.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज	48	9
24.	उड़ान अनुसंधान फ्लाइंग संस्थान, इंदौर	35	11
25.	अहमदाबाद विमानन अकादमी, अहमदाबाद	12	2
26.	ओरियेंट उड़ान विद्यालय, मद्रास	35	2
	कुल:	886	141

लघु विमानपत्तनों का उपयोग करने के लिए लघु विमानों के प्रचालन की अनुमति का दिया जाना

2299. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने बड़े और छोटे विमानों के प्रचालन के लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा छोटे विमानों को बड़े विमानों की तुलना में कम अनुमति प्रदान की जा रही है जबकि देश में अनेक छोटे-छोटे विमानपत्तन हैं; और

(ग) सरकार द्वारा छोटे विमानों को अनुमति प्रदान करने और लघु विमानपत्तनों का अधिक उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान निजी प्रचालकों द्वारा अर्जित/आयात किये जाने के लिए अनुमत्य विमानों की कुल संख्या निम्नवत है:—

वर्ष	विमानों की संख्या
1993	23
1994	20
1995	32

(30.11.1995 की स्थिति के अनुसार)

आधारभूत संरचनात्मक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए और संरक्षा, सुरक्षा तथा हवाई परिवहन सेवाओं की व्यवस्थिति वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार मौजूदा प्रचालकों को अपनी क्षमता में कुछ सीमित वृद्धि करने की तथा नए निजी एयरलाइन प्रचालकों को 50 सीटों वाले विमान के आयात की अनुमति दे रही है।

Foreign Banks to Expand their Banking Operation in India

2300. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the process of liberalisation in the country has enabled many foreign banks to expand their banking operations in India;

(b) whether it is also a fact that Indian mode of working are unable to compete with foreign banks; and

(c) if so, the steps are being taken to strengthen banking operation of the local banks?

banks with limited assets and out dated